संख्याः-1930/एक-10-2024

प्रेषक,

भानु चन्द्र गोस्वामी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मेला अधिकारी,
कुम्भ मेला, प्रयागराज।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः 26 दिसम्बर, 2024

विषयः महाकुम्भ, 2025 के दौरान विभिन्न आपदा प्रबन्धन गतिविधियों में सहयोग प्रदान किये जाने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित कुल 10,000 स्वयं सेवकों (आपदा मित्र, सिविल डिफेन्स, एन0सी0सी0, एन0एस0एस0, एन0वाई0के0एस0 एवं होमगार्डस) के प्रशिक्षण हेतु एक अतिरिक्त प्रशिक्षण हॉल की स्थापना किये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि की प्रपेयर्डनेस एवं केपेसिटी बिल्डिंग मद-10 से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-5304/Mahakumbh 2025, दिनांक 17.11.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से महाकुम्भ, 2025 के दौरान विभिन्न आपदा प्रबन्धन गतिविधियों में सहयोग प्रदान किये जाने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित कुल 10,000 स्वयं सेवकों (आपदा मित्र, सिविल डिफेन्स, एन0सी0सी0, एन0एस0एस0, एन0वाई0के0एस0 एवं होमगार्डस) हेतु 250-250 स्वयं सेवकों के बैच में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन मेला परिक्षेत्र में किये जाने के प्रयोजन से मेला परिक्षेत्र के अन्तर्गत झूंसी क्षेत्र में पुलिस लाइन के निकट एक अतिरिक्त प्रशिक्षण हॉल की स्थापना किये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य आपदा मोचक निधि से धनराशि रू0 1.4428 करोड़ (रू0 एक करोड़ चौवालीस लाख अट्ठाईस हजार मात्र) आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 04.12.2024 को सम्पन्न अप्रेजल कमेटी की बैठक की संस्तुति के क्रम में राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 20-12-2024 में प्राप्त अनुमोदन के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2024-25 में महाकुम्भ, 2025 के दौरान विभिन्न आपदा प्रबन्धन गतिविधियों में सहयोग प्रदान किये जाने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित कुल 10,000 स्वयं सेवकों (आपदा मित्र, सिविल डिफेन्स, एन0सी0सी0, एन0एस0एस0, एन0वाई0के0एस0 एवं होमगार्डस) हेतु 250-250 स्वयं सेवकों के बैच में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन मेला परिक्षेत्र में किये जाने के प्रयोजन से मेला परिक्षेत्र के अन्तर्गत झूंसी क्षेत्र में पुलिस लाइन के निकट एक अतिरिक्त प्रशिक्षण हॉल की स्थापना किये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि की प्रपेयर्डनेस एवं कैपेसिटी बिल्डिंग मद-10 से धनराशि रू0 1.4428 करोड़ (रू0 एक करोड़ चौवालीस लाख अट्ठाईस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित विवरण/शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन मेला अधिकारी, कुम्भ मेला, प्रयागराज के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैः-

नियम व शर्तें/प्रतिबंध-

(1) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि का उपयोग गृह मंत्रालय (आपदा प्रबन्धन प्रभाग), भारत सरकार के पत्र संख्या-33-02/2020-NDMA-1, दिनांक 22.04.2022 द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुसार किया जायेगा। मेला अधिकारी, कुम्भ मेला, प्रयागराज द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गाइडलाइन के किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन न होने पाये।

(2) राज्य आपदा मोचक निधि के क्षमता निर्माण मद से स्वीकृत धनराशि का उपभोग वितीय नियमों के अनुसार तथा वितीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।

(3) जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा, किसी अन्य मद में धनराशि का डायवर्जन नहीं किया जायेगा।

(4) क्षमता निर्माण मद से निर्गत की जा रही धनराशि का उपयोग मानदेय/वेतन/ईधन/मरम्मत/अनुरक्षण में नहीं किया जायेगा एवं धनराशि के ऑडिट का दायित्व मेला अधिकारी, कुम्भ मेला, प्रयागराज का होगा।

(5) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2025 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2025 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलव्ध कराया जायेगा।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(8) राज्य आपदा मोचक निधि के सबध में समय-समय पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं एनडीएमए द्वारा जो भी दिशा-निर्देश/गाइडलाइन निर्गत किये गये है अथवा किये जायेंगे के अनुसार उक्त धनराशि का उपभोग की कार्यवाही समयबद्धरूप से सुनिश्चित की जायेगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **रू0 1.4428 करोड़ (रू0 एक करोड़ चौवालीस लाख अट्ठाईस हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245-05-800-06-10 स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024--231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
Signed by
Bhanu Chandra Goswami
Date: 26-12-2024 11:11:01
(भानु चन्द्र गोस्वामी)
विशेष सचिव।

संख्या:-1930(1)/एक-10-2024, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

3- राहत आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।

4- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लखनऊ।
5- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- वरिष्ठ, वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
7- कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भानु चन्द्र गोस्वामी)
विशेष सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक-26/12/2024

प्रेषण संख्या:- 1930
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1930
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेसपान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेसपान्स फण्ड से व्यय
10 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	प्रयागराज-2878-मेलाधिकारी-कुम्भ , --01-1	वर्तमान प्रगामी	14428000 37466000	14428000 37466000
	योग	वर्तमान प्रगामी	14428000 37466000	14428000 37466000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ चौवालीस लाख अठाईस हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तीन करोड़ चौहत्तर लाख छियासठ हजार

(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उत्तर प्रदेश।